जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 28-06-2021

आज दिनांक 28.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 28.06.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्रा के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियो पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 442/2021 धारा 302/498(ए) भादवि में नामजद अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र रामचन्दर निवासी धमैचा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को भुवरिया चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. दीपक सिंह पुत्र रामचन्दर निवासी धमैचा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर उम्र लगभग 31 वर्ष

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 27.06.2021 को वादी मुकदमा श्री रमाशंकर पुत्र स्व0 विश्वनाथ निवासी साडेखुर्द थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री बिट्टू देवी की शादी दीपक सिंह पुत्र रामचन्दर निवासी धमैचा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के साथ दिनांक 28.02.2011 को हुयी थी। मेरी लडकी बिट्टू को आये दिन उसके पति दीपक सिंह पुत्र स्व0 रामचन्द्र सिंह, सास तीसा देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र व उनके जेठ पिन्टू सिंह पुत्र स्व0 रामचन्द्र दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करके मारते पीटते थे तथा जान से मारने की धमकी देते थे। दिनांक 26.06.2021 की मध्य रात्रि में उपरोक्त सभी अभियुक्त गण मिलकर हमारी लडकी बिट्टू का गला दबाकर हत्या कर दी गयी तथा सामाजिक भय से उसे दवा इलाज हेतु जिला अस्पताल ले गये जहां पर चिकित्सक द्वारा बिट्टू उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया था। उक्त तहरीरी सूचना के

आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28.06.2021 को उक्त नामित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद संतकबीरनगर ।
2. का0 बीर बहादुर यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद संतकबीरनगर।
3. का0 शुभम कुमार थाना कोतवाली खलीलाबाद संतकबीरनगर।
4. रौशन कुमार थाना कोतवाली खलीलाबाद संतकबीरनगर।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा अपहृता को किया गया बरामद

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 416/21 धारा 366 भादवि से संबन्धित अपहृता को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा बरामद किया गया।

विदित हो कि दिनांक 10.06.2021 को वादी की पुत्री को असरफ अली पुत्र अजीज निवासी बरहटा सूगापंखी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अपहृता की बरामदगी हेतु लगातार विभिन्न स्थानों पर खोजबीन की जा रही थी, इसी क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.06.2021 को अपहृता को बरामद कर चिकित्सा परिक्षण हेतु भेजा गया।

बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रजनीश राय मय हमराह म0आ0।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 3314 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी 3314 को थाना मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत खर्चा से इवेन्ट संख्या 08773 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 09 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद मे घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0 केन्द्र मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के संबंध मे थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –आ0 राजकुमार गुप्ता, हो0चा0 वशील अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 144 वाहनो से 131000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 144 वाहनो से 131000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।